उद्योगों को चलाने वालों के लिए ऐसी नियमावली नहीं बनाई जा सकती कि जो निर्णय करने वाले लोग हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, उनकी जिम्मेदारी हो ? आज उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है । निर्णय करने में वे भागीदार हैं, लेकिन नफा और नुकसान में भागीदार नहीं हैं और जनता की गाढ़ी कमाई का नुकसान करते हैं । यदि उनकी जिम्मेदारी हो, जो निर्णय लेकर रिस्पांसिबिलिटी से सार्वजनिक उद्योगों को चलाने की व्यवस्था की जा सके तो वायुदूत सरीखे कई सार्वजनिक उद्योगों को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है अन्यथा देश का 80 करोड़ रुपया जो इनमें लगा हुआ है वह इसी प्रकार से समाप्त हो जाएगा और देश की अर्थ-व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी ।

Death of an OM man in Police custody at the Patel Nagar Police Station New Delhi

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA (Rajasthan): Madam, my special mention is concerning the death of a man while in police custody at Patel Nagar police station.

It is a matter of deep regret that in our civilised society there has been no appreciable change in the investigation methods and the undertrials and suspects continue to suffer the brutality and the third degree methods meted out to them during the coarse of investigations. The recent death of a 50-year old man while in custody at the Patel Nagar Police Station- is yet another example of the ruthless style in which the police deals with the suspects and contravenes the provisions of law. It has totally belied the so-called 'friendly' image-building exercise claimed by the Delhi police. Jayaram's death in police custody stated to be fifth during the year and eighth since 1990 is ample proof of utter lack of supervision by the senior officers thereby encouraging the use of third degree methods to extract confession from the suspects.

Such deaths have, in the past, evoked public anger, protests leading to agitations, creating law and order problems and often unpleasant and ugly incidents. The matter has also been raised in the House on several occasions. But nothing has stopped the police to use medieval methods during invesigation process,

Only a few weeks ago a couple was reported to have been detained and sadistically beaten by the police inside the police station in another part of the city. If such incidents can happen in the nation's capital, how far police persons can go in the mofussil towns or villages can be well imagined.

Though the promptness with which the concerned authorities moved against the policemen involved in Jayaram's death is a matter of consolation but dealing with such cases as and when they occur, by treating thenji as isolated incidents is, by no means, an end to the problem. It is surprising that the Act governing the ' conduct of the police has, in substance, remained unchanged since 1861 in many parts of the country. The Police Commission's Report of 1981 recommending a comprehensiye review of the problems largely remains un-implemented.

Government should take a serious note of the growing number of deaths in police custody in the country and should consider the question of removing the use of outdated and brutal methods while conducting in-vestigations or interrogations. There is greater need today to bring drastic changes in the norms of police training and orientation in view of the changing role of police as expected in a civilised society. Thank you.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): We have already taken prompt action against the policemen who were on duty, including the Sub Inspector the Assistant Sub Inspector and thes constable, and charged them for

[Shri M. M. Jacob]

this incident. It also involves murder. So, serious action is being taken...

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA. Even then, such cases are continuing.

SHRI M. M. JACOB:.and further action will follow.

Spread of Kala-Azar in Bihar

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्व-पूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। बिहार में एक बहुत ही परेशानी की स्थिति पैदा हो गई है। यों तो पिछले कई वर्षों से इस परेशानी का सामना हम करते रहे लेकिन इस साल इतनी भयंकर स्थिति पैदा हो गई कि अब मामला बिगड़ता ही जा रहा है। बिहार में काला-जार से लगभग एक लाख लोग पीड़ित हो गये हैं। चार जिले–पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और वैशाली जिले का बहुत बड़ा हिस्सा कालाजार के प्रकोप से घिरा हुआ है। लगभग 5 हजार लोग मर चुके हैं जिसमें कई परिवार उजड़ गये हैं। परिवार का एक-एक सदस्य मर गया है और परि-वार का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। जिस कारण यह बीमारी होती है आप जानती हैं, कि सैंड फ्लाई नाम का एक कीड़ा होता है जो कालाजार फैलाता है। शुरू-शुरू में तो पता ही नहीं लगता कि यह मलेरिया है या कालाजार है क्योंकि सिस्टम्स दोनों के लगभग एक से होते हैं। शरीर पीला पड़ जाता है, लीवर बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाता है, चेहरा फीका हो जाता है। कालाजार एक मारक बीमारी है। कालाजार होने पर अगर सही इलाज नहीं होता है तो लोग बच नहीं सकते जैसे बिहार में देखने को मिल रहा है।

इस कीड़े को मारने के लिए इनिशियल स्टेज पर डीडीटी छिड़कवाने से काफी फायदा होता है। बिहार में साढ़े तीन हजार टन डीडीटी की आवश्यकता है। सरकार ने साढ़े तीन हजार टन डीडीटी की मांग केन्द्रीय सरकार से की थी लेकिन केन्द्रीय सरकार ने केवल दो हजार टन डीडीटी देना स्वीकार किया जिसमें से अब तक केवल इस साल 1500 टन डीडीटी दिया गया है। इस बीमारी की जो दवा दी जाती है वह इंजेक्शन से दी जाती है। उस इंजेक्शन का नाम है–पेंटामिडाइन। एक इंजेक्शन के दाम 300 रुपये से 350 रुपए है। जाहिर है साधारण लोग, गरीब खरीद कर यह इंजेक्शन लगा नहीं पाते। सरकार के पास यह दवा अभी है भी नहीं। पांच हजार, साढ़े पांच हजार दवा की बायल उपलब्ध है। 5 हजार लोग तो अभी तक मर चुके हैं और एक लाख लोगों के अभी तक के रिपोर्ट के केसेज हैं। इस बीमारी को रोकने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए एक एक्शन प्लान प्रांतीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिया था। यह एक्शन प्लान सौ करोड़ रुपये का है। यह मांग केन्द्रीय सरकार के पास काफी दिनों से लम्बित पड़ी है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह एक्शन प्लान जो भेजा है सौ करोड़ रुपये का इस रकम को तत्काल रिलीज कर दिया जाय। साढ़े तीन हजार टन डीडीटी जो देना स्वीकार किया था, एग्रीमेंट हुआ था कि इतना देना है और जिसमें से केवल 1500 टन दिया गया है तो जो बाकी दो हजार टन है उस को तत्काल उपलब्ध कराया जाय। अगर यह केन्द्रीय सरकार नहीं कराती है तो कालाजार से लड़ने के लिये जो सुविधाय उपलब्ध कराना चाहती है इस काम को अपने हाथ मे लेकर करे क्योंकि प्रांतीय सरकार इस वक्त इस लड़ाई को लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसका कारण यह है कि एक तो आपने कौल रायल्टी की दर कम कर दी है इससे हमारी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है, दूसरी तरफ सूखा और तीसरी तरफ बाढ़